व्यस्त होने के कारण पत्रावली सू...

दिनांक 26/08/19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7/019 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। बहस नहीं हो सकी। वास्ते अंतिम बहस पत्रावली दिनांक 27/8/019 को पेश हो।

8/019 पत्रावली पेश हुई। बमुताबिक फरीकेन उपस्थित। पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा एक बाद दिनांक 29/6/07 को शामलात के नाम पर अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जिसे नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना 09R4 CPC न्यायालय में पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दि. 3.10.2017 को वादीगण का बाद एक प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसकी अप्रसन्नता से वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जहां से वादीगण को यह आदेश मिला कि प्रार्थी 09 R4 का पुन: प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस कारण निम्न आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण का वाद दिनांक 29/6/017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने के पश्चात नम्बर पर लेने हेतु 09R4 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया करने के पश्चात नम्बर पर लेने के बजाय अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज कर दिया जो अदम हाजरी में खारिज किया गया उसमें प्रतिवादी गण की उपस्थिति भी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद प्रार्थना

अदम हाजरी यानि की वादी प्रतिवादी की अनुपस्थिति
में खारिज किया गया।
माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के
आदेशानुसार प्रार्थीगण का प्रा-पत्र 09 Rule 3 के तहत
खारिज हुआ है इसलिए प्रार्थीगण आदेश 9 नियम 4
के तहत पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी
है। प्रार्थीगण को राजस्व कार्य की कोई सूचना
नहीं थी। इसलिए राजस्व कार्य में अनुपस्थित रहे थे
इसलिए वादीगण का वाद बिना किसी समुचित आधार
के वादीगण का अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज
किया गया। प्रार्थीगण ने उक्त चूक जानबूझकर
नहीं की है। प्रार्थीगण की चूक सद्भावी है जो क्षम्य
योग्य है। एवं न्यायहित में प्रार्थीगण का वाद पुनः
सुनवाई पर स्वीकार करने की कृपा करें।

वकील प्रतिवादी द्वारा अपने कथन में
तर्क दिया कि वादीगण ने वाद को पुनः नम्बर पर
लेने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 09 R4 CPC एवं धारा 151
माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो
दिनांक 3.10.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज हो गया उक्त आदेश दि. 3.10.017 के विरुद्ध
वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
राज. अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की थी जो दिनांक
7/11/017 को खारिज करदी गई। राजस्व मण्डल राज.
अजमेर ने वादीगण की निगरानी खारिज करदी। माननीय
राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने वादीगण को आदेश 9
रूल 4 CPC के अन्तर्गत प्रा-पत्र प्रस्तुत करने का आदेश
नहीं दिया राजस्व मण्डल ने वादीगण की निगरानी
इस निर्देश के साथ खारिज की है कि वादीगण
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश के
विरुद्ध 09 R4 CPC के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु
स्वतंत्र है। प्रार्थीगण का वाद अदम हाजरी अदम
पैरवी खारिज हो चुका है उसको पुनः नम्बर पर

लेने का प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा खारिज कर चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र के आधार से वह केवल पुनः उसी नम्बर पर लिया जा सकता है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र 09 R4 CPC जो दिनांक 3.10.017 से खारिज हुआ है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये थी। प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिजी योग्य है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश दिनांक 15/11/013 के द्वारा इस न्यायालय को पक्षकारान की विधिवत रूप से सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये है।

पत्रावली के अवलोकन एवं अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वादीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 4 एवं धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलग्न हो।

निर्णय खुले इजलास में लिखाया जाकर सुनाया गया

(नंदकिशोर राजौरा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला-कोटा

Scanned by CamScanner